

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 408/2025

1 करण सिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी 4 बी.आर.एन चाहुवाली तहसील टिब्बी
नाबालिग जरिये कुदरती वली संरक्षक मामा बाबूलाल पुत्र आदराम जाति जाट निवासी
मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

1. शारदा

2. एकता

3. किरण

पुत्रीयाँ भूपसिंह जाति जाट निवासीयान 4बी.आर.एन. चाहुवाली तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।


डिक्री

दिनांक 4/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अतिम निपटारे/निर्णय
हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मय काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती
है-चकनं० 4 बी. आरएन के खाता सं० 64/59 में कुल 7.490 है० आराजी में से वादी
व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 को ब०हि०ब० यानि प्रत्येक को 1/4 हिस्सा के खातेदार
काश्तकार घोषित किये जाते है व चकनं० 4 बी. आर. एन. के खाता सं० 64/59 में से
रामजस का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी
को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद
एव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का
स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा
उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पचा डिक्री आज दिनांक 4/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।




सत्यनारायण (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।